

प्रेषक,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी

अलीगढ़

सेवा में,

नवयुग पब्लिक स्कूल

हामिदपुर टप्पल अलीगढ़।

पत्रांक/बे०मान्यता/ 14519

/2015-16

दिनांक—5-11-15

विषय— निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिये निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2010 के नियम 15 के उपनियम (4) के अधीन विद्यालय के लिये मान्यता प्रमाण पत्र।

महोदय,

आपके तारीख 21.08.2015 के आवेदन और इस संबंध में विद्यालय के साथ पश्चात्तर्वी पत्राचार/निरीक्षण के प्रतिनिर्देश से, मैं नवयुग पब्लिक स्कूल हामिदपुर टप्पल अलीगढ़ को तारीख 01.04.2015 से तारीख 31.03.2018 तक तीन वर्ष की अवधि के लिये कक्षा प्री प्राइमरी से कक्षा 08 तक (अंग्रेजी माध्यम) के लिये अनंतिम मान्यता प्रदान करने की संसूचना देता हूँ।

उपरोक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तों के पूरा किये जाने के अधीन है।

1-मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा 8 के पश्चात मान्यता/संवर्धन करने के लिये कोई बाध्यता विवक्षित नहीं है।

2-विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (उपाबंध-1) और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2010 (उपाबंध-2) के उपबंधों का पालन करेगा।

3-विद्यालय कक्षा 1 में (या यथास्थिति, नर्सरी कक्षा में) उस कक्षा में बालकों की संख्या के 25 प्रतिशत तक आस-पड़ोस के कमजोर वर्गों और सुविधा-विहीन समूह के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध कराएगा।

4-पैरा-3 में निर्दिष्ट बालकों के लिये विद्यालय को अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (2) के उपबंधों के अनुसार प्रतिपूरित किया जायेगा। ऐसी प्रतिपूरितियाँ प्राप्त करने के लिये विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।

5-सोसइटी/विद्यालय किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बालक या उसके माता-पिता या संरक्षक को किसी स्क्रीनिंग प्रक्रिया के अधीन नहीं करेगा।

6-विद्यालय किसी बालक को उसकी आयु का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इंकार नहीं करेगा और वह अधिनियम की धारा 15 के उपबंधों का पालन करेगा। विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा।

(1)-प्रवेश दिए गये किसी भी बालक को, विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक, किसी कक्षा में फेल नहीं किया जाएगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जाएगा।

(2)-किसी भी बालक को शारीरिक दण्ड या मानसिक उत्पीड़न के अधीन नहीं किया जाएगा।

(3)-प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी।

(4)-प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम 25 के अधीन अधिकथित किये गये अनुसार एक प्रमाण-पत्र प्रदान किया जायेगा।

(5)-अधिनियम के उपबंध के अनुसार निःशक्तता ग्रस्त/विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाना।

(6)-अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा-23(1) के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है। परन्तु यह है कि विद्यमान अध्यापक जिनके पास इस अधिनियम के प्रारम्भ पर न्यूनतम अर्हताएँ नहीं हैं पांच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताएँ अर्जित करेंगे।

(7)-अध्यापक अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करता है, और

(8)-अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन क्रियाकलापों में नियोजित नहीं करेगा।

7-विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यचर्या के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।

8-विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में यथाविनिर्दिष्ट विद्यालय के मानकों और संनियमों को बनाये रखेगा। अंतिम निरीक्षण के समय रिपोर्ट की गई प्रसुविधाएँ निम्नानुसार हैं-

विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल

कुल निर्मित क्षेत्र

क्रीडा-स्थल का क्षेत्रफल

कक्षाओं की संख्या

प्राध्यापक-सह कार्यालय-सहभण्डारागार के लिये कक्ष

बालक और बालिकाओं के लिये पृथक शौचालय

पेयजल सुविधा

मिड-डे-मील पकाने के लिये रसोई

बाधारहित पहुँच

अध्यापन पठन सामग्री/क्रीडा खेलकूद उपस्करों/पुस्तकालय की उपलब्धता

- 9-विद्यालय के परिसरों के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर मान्यताप्राप्त कक्षाएं नहीं चलाई जाएगी ।
- 10-विद्यालय भवनो या अन्य सरचनाओ या क्रीडा-स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकाश के प्रयोजनो के लिये किया जाता है
- 11-विद्यालय को सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम ,1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जा रहा है ।
- 12-स्कूल को किसी व्यक्ति,व्यक्तियों के समूह या संगम या किन्ही अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिये नहीं चलाया जा रहा है ।
- 13-विद्यालय के लेखाओ की किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिये और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिये तथा उचित लेखा विवरण नियमो के अनुसार तैयार किये जाने चाहिये । प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहिये ।
- 14-आपके विद्यालय को आर्बिट्रिट मान्यता कोड संख्यांक है । कृपया इसे नोट कर ले और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिये इस संख्यांक का उल्लेख करे ।
- 15-विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करता है जो समय-समय पर शिक्षा निदेशक/जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित हो और समुचित सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशो का पालन करता है जो मान्यता संबन्धो शर्तो के सतत अनुपालन का सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण की कामेयो को दूर करने के लिये जारी किये जाए ।
- 16-सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीनीकरण यदि कोई हो, को सुनिश्चित किया जाए ।
- 17-सलंगन उपाबंध के अनुसार अन्य कोई शर्त ।

भवदीय

(संजय कुमार शुक्ल)
जिला वैयक्तिक शिक्षा अधिकारी
झाँसीगढ़।

कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, अलीगढ़।

पत्रांक: बे० ६४१२

/ 2019-20 /

दिनांक ०६/११

प्रमाण-पत्र

शासनादेश संख्या-419/79-6-2013-18(20)/91 दिनांक: 08 मई 2013 में निहित प्राविधानुसार नवयुग पब्लिक स्कूल हमिदपुर टप्पल अलीगढ़ को दिनांक: 01.04.2015 से दिनांक: 31.03.2018 तक तीन वर्ष की अवधि के लिये कक्षा 01 से 08 तक (अग्रेजी माध्यम) की मान्यता प्रदान की गयी थी। खण्ड शिक्षा अधिकारी टप्पल की आख्यानुसार विगत तीन वर्षों में विभाग द्वारा विद्यालय के विरुद्ध कोई भी विभागीय कार्यवाही नहीं की गयी है, तथा विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 एवं 2011 का पालन करता है।

अतः उक्त विद्यालय को तीन वर्ष के लिये प्रदान की गयी मान्यता को ही स्थायी पढ़ा जाय।

डा० (लक्ष्मीकान्त पाण्डेय)

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
अलीगढ़।

Bughn